

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)
डी जी० एल० मीना (R.A.S.)

जफरुद्दीन
जफरुद्दीन पुत्र जफरुद्दीन
पुत्रीगण
जफरुद्दीन

जातिगण मुसलमान निवासीगण मौहल्ला कसाईपाडा
कस्वा बाडी तह० बाडी जिला धौलपुर

बनाम

- अलीमुद्दीन } पुत्रगण अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
स्वजानी }
मीना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
गुड्डी पुत्री अलीमुद्दीन पत्नी गुड्डी जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
हाल आबाद किरावली तह० किरावली जिला आगरा यू०पी०
अफसाना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी हाल आबाद
खंदौली तह० आगरा जिला आगरा यू०पी०
फरजाना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी हाल आबाद
खंदौली तह० आगरा जिला आगरा यू०पी०
नजराना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
छोटे पुत्र बाबू जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
नथी पुत्र बाबू जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा दावत


मुकदमा नं. 71/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंग
व हाजरी श्री रामधीश भारद्वाज एड० मिनजानिव मुद्दई श्री
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीगण तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार
अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार में खातेदार
दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. वादी मुसरत बेबा जफरुद्दीन व अलीमौहम्मद पुत्र व शकीला, अकीला, कल्लो, रुबी,
हिना पुत्रीगण जफरुद्दीन कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
2460 / 4	0-18	वा०दो०
2295 / 4	0-07	न०दो०
कुल किता 2	कुल रकवा 1-05	


उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

2. प्रति 0 सं 0 1 लगा 0 8 समसुददीन, बन्दू, रमजानी पुत्रगण अलीमुददीन व मीना, गुडडी, अफसाना, फरजाना, नजराना पुत्रीगण अलीमुददीन कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
2460 / 2	0-19	वा०दो०
2295 / 2	0-18	न०दो०
कुल किता 2	कुल रकवा 1-17	

3. प्रति 0 सं 0 9 छोटे पुत्र बाबू कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
2460 / 1	0-19	वा०दो०
2295 / 1	0-06	न०दो०
कुल किता 2	कुल रकवा 1-05	

4. प्रति 0 सं 0 10 नथी पुत्र बाबू कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
2460 / 3	0-18	वा०दो०
2295 / 3	0-06	न०दो०
कुल किता 2	कुल रकवा 1-04	

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

नीज मुबलिग..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करें। वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 07 साल 2016 को जारी की गई।

दस्तखत
 ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी
 उपखण्डाधिकारी

मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुददायला	बाडी (धौलपुर) न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू०	
महनताना वकील) रू०			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक	
मुतफरिंक				
मीजान			मीजान	

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

.....

उपखण्डाधिकारी
 बाडी (धौलपुर) राज

1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

मुसरत
उनवान
बनाम
समसुद्दीन

1. मुसरत बेबा जफरुद्दीन
2. अलीमौहम्मद पुत्र जफरुद्दीन
3. शकीला
4. अकीला
5. कल्लो
6. रूबी
7. हिना

पुत्रीगण
जफरुद्दीन

जातिगण मुसलमान निवासीगण मौहल्ला कसाईपाडा
कस्वा बाडी तह० बाडी जिला धौलपुर

वादीगण :-

बनाम

1. समसुद्दीन
2. बन्दू
3. रमजानी
4. मीना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
5. गुड्डी पुत्री अलीमुद्दीन पत्नी गुड्डी जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
6. अफसाना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी हाल आबाद किरावली तह० किरावली जिला आगरा यू०पी०
7. फरजाना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी हाल आबाद खंदौली तह० आगरा जिला आगरा यू०पी०
8. नजराना पुत्री अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
9. छोटे पुत्र बाबू जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
10. नत्थी पुत्र बाबू जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कसाईपाडा बाडी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी वहाँसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री रामधीश भारद्वाज एड०

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा०का०अधि०
दिनांक :- 09.07.2016

दावा सं. 71/2012

निर्णय

दावा वादीगण दिनांक 02.09.2013 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2460/3-14, 2295/1-17 बाके कस्वा बाडी नं० 3 तह० बाडी में वादीगण व प्रति० के मध्य रिकार्ड जमाबन्दी एवं मौके के कृषि जोत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

तहसीलदार बाडी ने कुर्रैजात प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये कि वादीगण को आ0ख0नं0 2460/4/0-18, 2295/4/0-07 एवं प्रति0 सं0 1 लगा0 8 को आ0ख0नं0 2460/2/0-19, 2295/2/0-18 एवं प्रति0 सं0 9 को आराजी ख0नं0 2460/1/0-19, 2295/1/0-06 एवं प्रति0 सं0 10 को आ0ख0नं0 2460/3/0-18, 2295/3/0-06 की खातेदारी में दिया जावे। तत्पश्चात बहस कुर्रैजात वादीगण सुनी गई। उक्त कुर्रैजात प्रस्ताव पर खाते पृथक पृथक किये जाने के लिए वादीगण द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

वादीगण द्वारा कुर्रैजात प्रस्ताव पर दी गई सहमति के आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. वादी मुसरत बेबा जफरुद्दीन व अलीमौहम्मद पुत्र व शकीला, अकीला, कल्लो, रूबी, हिना पुत्रीगण जफरुद्दीन कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म
2460/4	0-18	वा0दो0
2295/4	0-07	न0दो0
कुल किता 2		कुल रकवा 1-05

2. प्रति0 सं0 1 लगा0 8 समसुद्दीन, बन्दू, रमजानी पुत्रगण अलीमुद्दीन व मीना, गुड्डी, अफसाना, फरजाना, नजराना पुत्रीगण अलीमुद्दीन कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म
2460/2	0-19	वा0दो0
2295/2	0-18	न0दो0
कुल किता 2		कुल रकवा 1-17


3. प्रति0 सं0 9 छोटे पुत्र बाबू कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म
2460/1	0-19	वा0दो0
2295/1	0-06	न0दो0
कुल किता 2		कुल रकवा 1-05

4. प्रति0 सं0 10 नत्थी पुत्र बाबू कौम मुसलमान सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म
2460/3	0-18	वा0दो0
2295/3	0-06	न0दो0
कुल किता 2		कुल रकवा 1-04


उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक



उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राख

पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बाडी
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज